कार्यालय कलेक्टर जिला मण्डला एवं पदेन उप सचिव,म.प्र.शासन राजस्व विभाग

क्रमांक/भू-अर्जन/ 2016-17 मण्डला, दिनांक 28/09/2016

धारा 11

::-अधिसूचना-::

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इससे संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम एवं प.ह.नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे0 में)	अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
01	02	03	04	05	06
मण्डला	निवास	1.करौंदी प.ह.नं. 60	32.74	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मण्डला	गौर जलाशय के शीर्ष कार्य एवं नहर निर्माण हेतु
		2.अमदरी -47	29.00		
		3.पाडरपानी -61	1.26		
		4.पिपरिया -47	3.00		
		5.पायलीबाहुर -47	9.56		
		6.लोहारी रै0 -49	1.07		
		7.थानमगांव -30	1.52		
		8.पाठादेवगांव -60	2.02		
		9.निवास -59	1.73		
		10.आमाडोंगरी -59	2.96		
		11.गज्जूदेवरी -56	2.48		
		12.कुसमी -29	0.24		
		13.खड़देवरी -54	3.15		
		14.हरिसिंघौरी -29	3.16		
		कुल	**93.89 हे0**		

1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्व कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in, व मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in, पर भी देखा जा सकता है।

2. भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) निवास या कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मंडला के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(प्रीति मैथिल नायक)
कलेक्टर मण्डला एवं पदेन उप सचिव,
म.प्र.शासन, राजस्व विभाग,

D:\My-file\adhisuchna dhara 11-19,4-6

पृ. क./भू–अर्जन/ 2016–17/ 153 A मण्डला, दिनांक 28/09/2016

प्रतिलिपिः–

01. नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय अरेरा हिल्स, भोपाल को म.प्र.राजपत्र भाग–1 के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

02. संचालक, सूचना तथा प्रकाशन विभाग, भोपाल को दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित। कृपया प्रकाशन उपरान्त एक–एक प्रति भेजने का कष्ट करें।

03. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मंडला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

04. जिला सूचना अधिकारी मंडला (कलेक्टर एन.आई.सी. कक्ष) को शासकीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

05. अनुविभागीय अधिकारी (रा0) निवास को एक प्रति तहसील कार्यालय के नोटिस बोर्ड तथा एक प्रति संबंधित ग्राम पंचायत/ग्राम के सहजगोचर स्थान पर चस्पा कराने हेतु प्रेषित।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(प्रीति मैथिल नायक)
कलेक्टर मण्डला एवं पदेन उप सचिव,
म.प्र.शासन, राजस्व विभाग

D:\My-file\adhisuchna dhara 11-19,4-6